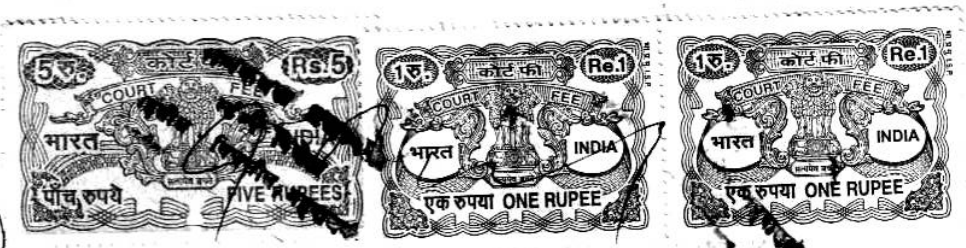

3
7=00

न्यायालय उपजिलाधिकारी निचलौल जनपद महराजगंज

वाद सं० 19/4

सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधि० बावत मौजा- टिकुलहिया ताप्पा बान पगना तिलपुर तह० निचलौल जनपद महराजगंज

नकल आदेश दिनांक 2[illegible]-4-14 की छाया प्रति संलग्न

प्रतिलिप कर्ता -

मुलना कर्ता -

न्यायालय उप जिलाधिकारी निचलौल जनपद–महराजगंज ।

19 T201405470211

वाद सं0–4

अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधि0 बावत मौजा–
टिकुलहिया तप्पा–खास परगना–तिलपुर तहसील–
निचलौल जनपद–महराजगंज ।

सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय––––––बनाम–––––सरकार ।

आदेश

सरस्वती देवी महिला महा विद्यालय टिकुलहिया जरिये स्वेतलाना दूबे पत्नी पवनकुमार द्वारा कायमी प्रार्थना–पत्र दिनांक–09–4–14 को दाखिल कर अनुरोध किया है कि आदेश दिनांक–28–2–11 में हम प्रार्थिनी का नाम खारिज कर श्रेणी–6(2) आबादी के खाते में विवादित आराजी दर्ज कर दिया गया है जिससे हम प्रार्थिनी को काफी हक तल्फी है,जबकि विवादित आराजी सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय के नाम अकृषिक के रूप में खतौनी के कालम 7–12 में दर्ज होना चाहिए । कायमी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक–28–2–11 निरस्त कर पुनः महाविद्यालय के पक्ष में आराजियात को अकृषिक रूप में दर्ज करने हेतु अनुरोध किया है।

कायमी प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मूल पत्रावली मंगायी गयी जो शामिल मिसिल है। कायमीदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल कर अनुरोध किया है कि आदेश दिनांक–28–2–11 को पारित करते समय विवादित आराजी सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय के नाम अकृषिक कालम में न दर्ज होकर उक्त भूमि श्रेणी–6(2) आबादी के खाते में दर्ज हो गया है,जबकि उक्त भूमि गॉंवसभा की सम्पत्ति नहीं है। उक्त इन्द्राज को खारिज कर पुनः महाविद्यालय के पक्ष में अकृषिक के रूप में अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

मैने कायमीदाता के सुबुद्ध विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं पत्रावली में दाखिल लिखित/मौखिक साक्ष्यों का भलीं–भांति परिशीलन किया । पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी सरकारी अभिलेख खतौनी सन्1415 से 1420 फ0 के खाता संख्या–52 पर आ0नं0–136 रकवा 0.619हे0 सुबाषचन्द पुत्र जीवधन प्रसाद व राजपति पत्नी ताराचन्द तथा सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय टिकुलहिया के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है तथा खाता नं0–09 आ0नं0–137 रकवा 0.340हे0 सरकारी अभिलेख खतौनी में सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय निचलौल के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। जिसे अकृषिक दर्ज करने हेतु वाद योजित किया गया। आक्षेपित आदेश दिनांक–28–2–11 द्वारा विवादित आराजी का वर्तमान इन्द्राज खारिज कर उक्त भूमि श्रेणी–6(2) आबादी के खाते में दर्ज करने का आदेश किया गया है। धारा–143 के उद्घोषणा का स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं होता बल्कि मात्र भूमि के कृषिक/अकृषिक स्वरूप की उद्घोषणा होती है जिसका सीमित विधि संगत प्रभाव होता है। उत्तर प्रदेश भू0

नियमावली के प्रस्तर क–157 में उल्लिखित है कि यदि किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का या उसका कोई भाग 1950 ई0 के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अधीन कलेक्टर द्वारा अकृषिक भूमि प्रख्यापित कर दिया जाये तो इसप्रकार प्रख्यापित भूमि के सम्बन्ध में इन्द्राज खतौनी के स्तम्भ–7,8,9,10,11 या 12 में सम्बन्धित इन्द्राजों के सामने किया जायेगा । ऐसे इन्द्राज वर्ष प्रतिवर्ष लिखे जाते रहेगें । यदि किसी समय जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा–144 के अधीन उक्त प्रख्यापन का प्रत्यावर्तन किया जाये,तो प्रत्याव्रतन की आज्ञा के ब्यौरो का भी इन्द्राज किया जायेगा । ऐसे प्रत्यावर्तन की दशा में आगामी बनाये जाने का भी खतौनी में उक्त इन्द्राज दर्ज नहीं किये जायेगें । इसप्रकार कायमी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर संशोधित आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आक्षेपित आदेश दिनांक–28–2–11 निरस्त किया जाता है तथा आदेश किया जाता है कि ग्राम–टिकुलहिया तप्पा–खास परगना–तिलपुर के खाता संख्या–52 के आ0नं0–136 रकवा 0.412हे0 व खाता नं0–09 आ0नं0–137 रकवा 0.340हे0 पर पूर्व की भॉति खतौनी के स्तम्भ–2 में सरस्वतीदेवी महिला महाविद्यालय टिकुलहिया निचलौल जनपद–महराजगंज जरिये श्रीमती स्वेतलाना दूबे पत्नी पवनकुमार दूबे साकिन भखरा तप्पा–रेट तहसील–सहजनवा जनपद–गोरखपुर प्रबन्धक मुख्य ट्रस्टी श्री बृजबिहारीदूबे एजुकेशनल ट्रस्ट साकिन कजाकपुर निकट भगत चौराहा तहसील–सदर जनपद–गोरखपुर का नाम दर्ज किया जाय तथा परिवर्तन सम्बन्धित कालम 7–12 में विवादित आ0नं0–136 रकवा 0.412हे0 व आ0नं0–137 रकवा 0.340हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है,का आदेश अंकित किया जाय । अकृषिक घोषित करने सम्बन्धित आदेश निरन्तर खतौनी के परिवर्तन सम्बन्धित विवरण के कालम में दर्ज रहेगा ।तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हों । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हों।

24.4.14

(जयचन्द्र पाण्डेय)
उप जिलाधिकारी–निचलौल,
महराजगंज ।

395
24-4-14
7:00
655
24-4-14
24-4-14

[redacted]
24-4-14